

5  
88  
2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

379861



Handwritten signature or stamp.

(1)

सिद्धांत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2 (क-1) (IV) के पृष्ठ सं 15 के  
 अनुसार नं. 11 सिद्धांत सम्पत्ति कोड नं. 1299 वाले बी.टी. अमरकपुर ब्लॉक  
 बल्लभपुर गांव में 10 किलोमीटर सीसी सड़कद्वारा मार्ग के निकट भूमि के अनुसार 0.0300 हे. की  
 भूमि का मूल्यांकन 7/- प्रति हेक्टर पर के अनुसार भूमि की कीमत 3,00,000/- रूपये उसके  
 अनुसार मूल्यांकन 7/- प्रति हेक्टर के अनुसार भूमि की कीमत 8,00,000/-  
 रूपये के अनुसार मूल्यांकन 0.401 हे. की दर 39,00,000/- प्रति हेक्टर के अनुसार

~~शुभ~~

~~प्रमाण~~



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

379862

(2)

भूमि की कीमत 12,03,000/- तथा इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 21,78,000/-  
 लम्बा है।

राम का कुल योग	- 1,42,500/-
दस्तावेज का इकाय	- बैनामा
समाप्तिकाल में भूदाता द्वारा निर्दिष्ट	} - 21,78,000/-
मन्व्यावली नुसार की अनुसार मूल्य	
शुद्ध मूल्य	- 7,50,000/-
नाम	- भगवन्तपुरा
	- मछामोव
व्यवस्था का प्रकार	- कृषितीय
मालिक की इकाय	- हेक्टेयर
मालिकी का क्षेत्रफल	- 0.601 हेक्टेयर

रमेश

मीमा देवी

Registration No 2539

विक्रम


Year 2008

Book No

पत्र

पत्रिका

पत्रिका-पत्रिका-पत्रिका-पत्रिका





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

379862

(2)

भूमि की कीमत 12,03,000/- लगाने इस प्रकार भूमि की कुल मालियत 21,78,000/-

स्वरूप है।

लाभ का कुल योग - 1,42,500/-

दस्तावेज का प्रकार - बैनामा

संशोधन के अनुसार मूल्य } - 21,78,000/-

शुद्ध मूल्य - 7,50,000/-

गाँव - भगतभक्तपुरा

तहसील - मडागाँव

लाभ का प्रकार - कृषिकीय

लाभ की इकाई - हेक्टेयर

लाभ का क्षेत्रफल - 0.601 हेक्टेयर

रमेश

मीना देवी





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

379864

(१)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी नृसिधरी वार्ड नौजा मगवन्तपुरा ब्लॉक बहागौर्य परगना व जिला झोंसी जिसके आराजी नन्दरान व रकवा जैत में दर्ज है। विजिल आराजी झोंसी-मऊरानीपुर मार्ग से लगी हुई है एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। परगावेंज राजा के साथ विक्रित आराजी का नक्शा सलग्न है जिसमें प्लॉट नम्बर बरग स्थल से दर्शाया गया है जो बेनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी की भूमि की कुल क्षेत्रफल 15 रुपये 05 पैसा सालाना है। परशुदा आराजी का मूल्यांकन 15 रुपये 05 पैसा सालाना है। परशुदा आराजी की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी विक्रित की सम्पत्ति है। परगावेंज राजा में 1090 सरकार सूचिसूचना आदेश संख्या सं0वि0क0नि0 सं0 482/11-2006-500-92/2005 दिनांक 23 फरवरी 2006 के बाद आंशिक शासन सम्पत्ति का मूल्यांकन दिनांक 30-06-2008 के अनुसार महिला द्वारा क्रय की गयी सम्पत्ति है। विक्रित आराजी का मूल्यांकन 15 रुपये 05 पैसा सालाना है।

रमेश

मीरा देवी



क्रमांक


Registration No. 2379

Year 2008

Book No.

श्रीमती वीरा देवी  
की पुस्तक है

जो कि जो प्रतिलिपि के साथ विकसलिया तालमीन के जिले वाली



पंजी

श्रीमती वीरा देवी





क्र. ११


Registration No. 2539

Year 2008

Book No.

श्री लाल श्री लाल

श्री लाल श्री लाल के द्वारा लिखित/लेखिका/लेखिका द्वारा



हस्ताक्षर

अंगुली





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

371865

(5)

मिनिम जगदीश चितला ने जरिये बेनामा दिनांक 21-04-1999 ई० श्री मुरलीधर सिंह

पुत्र श्री रामदार रामलाल सिंह साकिन 95/14, मोहल्ला, सिविल लाईन सहस्रौल ब

दिल्ली के जिला जे.पी. विहारी जजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार जीसी ने

जीसी नं० 1792 के पृष्ठ 251 / 262 पर क्रम संख्या 1031 दिनांक 21-04-1999

मिनिम

15000 रु

भारतीय गैर न्यायिक

15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

हजार रुपये

RUPEES  
FIFTEEN THOUSAND

Rs. 15000

भारत INDIA

Rs. 15000

उत्तर प्रदेश

181254

(6)

क्रमांक	संख्या	रकबा	किस्म जमीन	सिंचित / असिंचित
37/2		0.482 हे०	राकर सोयम	सिंचित
		0.057 हे०	राकर सोयम	सिंचित
		0.506 हे०	राकर सोयम	सिंचित
10		0.121 हे०	राकर सोयम	सिंचित
12/2		0.174 हे०	राकर सोयम	सिंचित
		0.210 हे०	राकर सोयम	सिंचित
		0.109 हे०	राकर सोयम	सिंचित
		0.130 हे०	राकर सोयम	सिंचित

कम से कम रकबा 1.805 हेक्टेयर का 1/3 हिस्सा यानि अपना सम्पूर्ण हिस्सा

रकबा 0.601 हेक्टेयर घय किया गया है।

प्राकृतिक वन्यजीवों का नुकसान एवं जलवायु का सदस्य नहीं है।

रमेश

श्री देवी



UTTAR PRADESH

181255

(7)

कुल मूल्य—7,50,000/- सात लाख पचास हजार रुपया जिसमें से 2,50,000/-

लिखते बाने में पूर्व प्राप्त कर लिया है व 5,00,000/- रुपया

आज नगद पूर्व प्राप्त कर लिया है।

कुल मूल्य—21,78,000/-

इक्कीस लाख अठहत्तर

हजार रुपया से अधिक नहीं है।

उपरोक्त आराजे उपरोक्त का सम्पूर्ण रूप से मालिक कारिज व दरजिल

के नाम से ही जारी की गई है यदि हर प्रकार में जुस्ताजर विपक्षता से फल

में ही जारी की गई है यदि हर प्रकार में जुस्ताजर विपक्षता से फल

२१२५

मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

Rs. 5000.

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

D 505859

(8)

यह नुबेया मे मुझे आराजी किसी जमानत, डिगी, कण आदि मे मगफूल है। वुंके मुझे  
सिंका वी मरु कार्य हेतु रूपये की जरूरत है अत मैं विक्रता अपनी उपरोक्त आराजी  
कामत उपरोक्त मे वहक कोता उपरोक्त बय व फरोस्त करता हूँ, कबला दखल मालिकाना  
मे मे आराजी मे केत उपरोक्त को बखुवी मीन पर का दिया मे अधिकतर उपा होत  
आराजी नुबेया मे रदथ काशत करे या किसी अन्य व्यक्ति से काशत करावे, कागजात  
कागजात से मरे नाम खारिज करके अपना नाम दर्जे कागजात फरावे बय हिया रहिन करे  
मे फत जो चाहे सो करे। आज की तारीख से आराजी नुबेया से मरा या मरे

रमेश

मीरा देवी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राज्य UTTAR PRADESH

0 505860

(9)

यह पत्र भारत के परिवार मंत्री से आयता होगा। काज किसी कानूनी मुकदमे में या भारतीय मुद्रा कब्जे काल में निकल जाये तो कुल कीमत पाँच हजार रुपये का प्रत्येक मिलानदार में विक्रयता रहेगा। विक्रयता एवं काल का कथन हे वि. प्रस्तुत मिलेख में कथन में सुनिश्चित करने वाले किसी भी लक्ष्य को नहीं छुपाया गया है सभी लक्ष्य

57

22 21

मीरा देवी

1000Rs.



(10)

यदि कोई व्यक्ति एक संपत्ति किसे नये है। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीरशुदा दस्तावेज में  
 किसी तथ्य को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त कृत्य का  
 अर्थ हीन होगा। अतः मुकदमा जायद जोस-जोखदारी दीवानी, माल, राजस्व, स्टाम्प एक्ट के तहत का  
 अर्थ हीन होगा। अतः कलकत्ता के उक्त तथ्य सजिरदार, बपीत (एडवोकेट), दस्तावेज लेखक या

रने ५१

कमीरादेवी





(11)

अस्य अङ्कित चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व लिखता के होता का ही होगा। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों का प्रमाण लेना किन्हीं जज या दबाव के सह बेनामा कहेर कर दिया जाकि सन्दर्भ में अन्वेषण पर काम आवे।

पंक्ति 4 की सतर B में शब्द विक्रित आराजी विक्रेता की कता है व इसी पंक्ति की सतर 9 में विक्रेता विक्रय के अर्थ में है।

रमेश

मारादेवी



भारतीय न्यायिक

भारत INDIA



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 833092

(12)

दिनांक: 04-07-2008

प्रारूपकर्ता: प० अखिलेश शर्मा, बसीका नवीस, तहसील आँसी

उत्तर प्रदेश के न्यायिक दस्तावेज

*अखिलेश शर्मा*  
*बसीका नवीस*

पता: बसीका

*अखिलेश*

*बसीका नवीस*

प० अखिलेश शर्मा बसीका नवीस तहसील आँसी

प० अखिलेश शर्मा

बसीका नवीस

तहसील आँसी


उत्तर प्रदेश

दिनांक: 04-07-2008

प्रारूपकर्ता

*अखिलेश शर्मा*

आम दिनांक 05.07.2008 को  
घोषणा क्र. 1 दिनांक 3495  
पर क्र. 07 से 24 पर कुल 2539  
सिद्धिपूर्वक किया गया।

  
प्रकाश चन्द गुप्ता  
उपनिवेशक प्रथम  
इली  
5/7/2008



आम दिनांक 05.07.2008 को  
घोषणा क्र. 7341709  
पर क्र. 11-808  
Changh  
13-8-2008

# नक्शा-नजरी

(5)

विक्रेता का नाम श्री रमेश ..... 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित  
 क्रेता का नाम श्री प्रीती देवी ..... सम्पत्ति के विवरण का मानचित्र  
 माता ..... अडावन्तपुरा ..... 200 मीटर त्रिज्या की परिधि ( लाल रंग )  
 तहसील, परगना व जिला झाँसी ..... से प्रदर्शित है।  
 भूमि नम्बर 24/2, 99/2, 28, 90, 92/2, 8, 22, 26/2



श्री रमेश  
 1 श्री रमेश  
 2 श्री रमेश  
 श्री रमेश श्री रमेश



हस्ताक्षर विक्रेता

श्री रमेश देवी  
 हस्ताक्षर क्रेता



क्रमांक नः ०५५  
रजि० वास्ते

विप्लव  
म विकेता  
म कोरा  
बाडी

मामय  
म कोरा बाडी

- १ - १ ०

०५/०७/०८